कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण जिला नारायणपुर

-:: निविदा की शर्तें ::—

निःशक्तजनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय हेतु इच्छुक एवं योग्य निवदिाकारों से निम्न शर्तो के अधीन निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है :-

निःशक्तजनों के लिए कृतिम अंग अपकरण कय हेतु निम्नशर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित हैः-

1. निविदा दिनांक 24.01.2014 को समय दोपहर 2:30 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकेगी तथा उसी दिन दिनांक 24.01.2014 को ही अपरान्ह 3.00 बजे निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित समय के पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र व अन्य जानकारी दिनांक 24.01.2014 तक कार्यालीन समय में प्राप्त की जा सकेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदाकार/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
2. निविदा सीलबंद लिफाफे में केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा स्वीकार होगी। खुली निविदा मान्य नहीं होगी निविदा के समस्त आवश्यक दस्तावेजो की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति एवं सुरक्षा निधि संलग्न करना तथा सामाग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वयं निरस्त मानी जावेगी। प्रदाय सामाग्री नमूने के अनुरूप न होने पर सामाग्री पुनः देनी होगी।
3. ट्रान्सपोर्टिंग चार्ज स्वयं फर्म द्वारा भुगतान किया जावेगा।
4. अमानत राशि रूपये 67,500.00/- का राष्ट्रीयकृत बैंक/बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा पत्र "उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण जिला नारायणपुर" के नाम से निविदाकर्ता को निविदा के साथ देना होगा जिसे जमानत राशि के रूप में निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृत निविदाकर्ता को सामग्री की आपूर्ति 10 दिनों के भीतर अनिवार्यतः करनी होगी। अन्यथा निविदा निरस्त मानी जाकर द्वितीय दर के निविदाकर्ता को पूर्ति का आदेश दिया जा सकेगा। प्रथम निविदाकर्ता की जमानत राजसात की जा सकेगी।
6. सामाग्री की गुणवत्ता का परीक्षण एवं मिलान निर्धारित जिला स्तरीय समिति द्वारा किये जाने एवं भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।
7. नियमानुसार आयकर विक्रय कर की कटौती की जावेगी।
8. सफल निविदाकार की सुरक्षा निधि राशि बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा निविदा प्रकिया पूर्ण होने तक रखी जावेगी। शेष फर्मो की सुरक्षा निधि के बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा राशि 20 दिनों के पश्चात् वापस कर दी जावेगी। निविदा स्वीकृत उपरांत निविदादाता को अनुबंध राशि 50 रूपये के स्टांप पेपर पर उनके स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करना होगा।
9. स्थानीय स्तर के फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।
10. अस्पष्ट, ओव्हर राईटिंग एवं काटछाट युक्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेंगा। जिला क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
11. फर्म CSIDC जिला उद्योग एवं वाणिज्य कर विभाग से पंजीकृत होना चाहिए एवं फर्म के नाम से वाणिज्यकर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12. शासकीय कार्यालयों में सामाग्री आपूर्ति हेतु 5 वर्ष अनुभव होना चाहिए एवं शासकीय संस्थाओं द्वारा डिजाइन प्रमाणीकरण हो।
13. आयकर रिर्टन की चालान की फोटो प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. विकय कर एवं वाणिज्यकर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. फर्म का वार्षिक टर्न ओव्हर न्यूनतम 20.00 लाख रूपये होना अनिवार्य है।
16. निविदा के साथ सामाग्री का सेम्पल (नमुना) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को बैक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. दो या दो से अधिक फर्मो के एक समान दर प्राप्त होने पर कय समिति के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। जो निविदाकार को मान्य होगा तथा सामाग्री का भुगतान जिला स्तरीय उप समिति के भौतिक सत्यापन उपरांत होगा।
19. कय आदेश जारी करते समय उपकरणों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
20. निविदाएं दो पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रथम लिफाफे में आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज तथा अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट एवं द्वितीय लिफाफे में सामाग्री अनुसार दरे दी जावेगी निविदाकार को लिफाफे 02 में दर अंको एवं शब्दो में हस्ताक्षर युक्त अंकित करना अनिवार्य होगा।
21. प्रथम लिफाफे के दस्तावेज पूर्ण नही होने पर द्वितीय लिफाफा नही खोला जायेगा एवं जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
22. निविदाकार को प्रथम लिफाफे के ऊपर "कृत्रिम अंग उपकरण कय की निविदा" एवं द्वितीय लिफाफे के ऊपर "कृत्रिम अंग उपकरण कय की दर की निविदा की दर" स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य होगा।
23. प्रदायकर्ता को शासन के नियमानुसार सभी दर देय होगें अर्थात् प्रस्तुत दरे सभी करो सहित दी जावे विभाग द्वारा किसी प्रकार की छुट नही दी जावेगी।
24. निविदा के शर्तो में संशोधन करने निविदा स्वीकृत करने या निरस्त करने अथवा विवादास्पद स्थिति में निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला नारायणपुर जिला स्तरीय कय समिति को होगा। आमंत्रित निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर जिला नारायणपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
25. निविदा प्रकिया में एवं कय एवं प्रदाय प्रकिया के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद निर्मित होने की दशा में उसका निराकरण न्यायालयीन क्षेत्र नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के अधीन होगा।
26. निविदा आमंत्रित सहायक उपकरणों की गुणवत्ता का आधार आई.एस.आई., बी.आई.एस. तथा आई.एस.ओ. 9001 प्रमाण पत्र इकाईयों/उत्पादक संस्थान/अधिकृत विक्रेताओं से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित है।

उप संचालक
पंचायत एवं समाज कल्याण
जिला नारायणपुर

निविदा प्रपत्र भाग – 01

प्रति,

उप संचालक
पंचायत एवं समाज कल्याण
जिला नारायणपुर

महोदय,

कार्यालय उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण जिला नारायणपुर के अंतर्गत ट्रायसायकल, वैसाखी, श्रवणयंत्र, व्हील चेयर, छड़ी, सी.पी. चेयर प्रदाय करने हेतु प्रकाशित निविदा के आधार पर मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र कमांक ..... . कय किया गया है हम / मैं निविदा में दी गयी शर्तो, नियमों तथा परिशिष्टों में दिये गये पूर्ण विवरण को पढ़कर भली–भॉति समझकर तथा सहमत होकर निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करते है / करता हूँ :–

01 निविदादाता का पूरा नाम पता तथा दूरभाष कमांक :–.....
.....
.....

02 फर्म का स्वरूप (स्वामित्व/भागीदारी/प्रा.लि/लि.कंपनी) .....
.....
.....

03 फर्म के स्वामी /का नाम एवं पता .....
.....
.....
.....

04 यदि भागीदार, तो नाम व पता .....
.....
.....
.....

05 फर्म की स्थापना / पंजीयन कमांक .....
.....
.....

06 आयकर संबंधी समाशोधन प्रमाण पत्र .....

07 फर्म/कंपनी के नाम, वाणिज्यिक कर .....
विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र एवं टेन नं. .....

08 फर्म का बैंक नाम व खाता कमांक .....

09 अमानत राशि का विवरण बैंक का नाम ड्राफ्ट/सावधि .....
जमा पत्र नंबर व दिनांक .....

10 निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत/संलग्न दस्तावेजो की सूची :-

अ. निविदा की शर्तो का सहमति पत्र ब .....

स ..... द .....

य ..... र .....

हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी/दस्तावेज सही है। गलत प्रमाण पत्र अथवा अभिलेख/जानकारी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही की जावेगी, उसके लिये मैं / हम स्वयं जिम्मेदार होगें।

हस्ताक्षर / सील
निविदाकर्ता

निविदाकार फर्म द्वारा उपरोक्तानुसार जिन दस्तावेजो का विवरण दिया जा रहा है उसकी स्व प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी प्रस्तुत किये जा रहे सभी दस्तावेज निविदाकरर अथवा फर्म के नाम पर होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा मान्य नही होगी। इसी प्रकार निविदा प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत सभी दस्तावेज व प्रमाण पत्र वैद्यता की परिधि में होना आवश्यक है, अन्यथा निविदा निचारणीय नही होगी।

निविदा प्रपत्र भाग – 02

प्रति,

उप संचालक
पंचायत एवं समाज कल्याण
जिला नारायणपुर

महोदय,

कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण जिला नारायणपुर के अंतर्गत ट्रायसायकल, वैसाखी, श्रवणयंत्र, व्हील चेयर, छड़ी, सी.पी. चेयर कय करने हेतु प्रकाशित निविदा के आधार पर मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र कमांक ..... कय किया गया है हम / मैं निविदा में दी गयी शर्तो, नियमों तथा परिशिष्टें में दिये गये पूर्ण विवरण को पढ़कर भली-भाँति समझकर तथा सहमत होकर निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करते है / करता हूँ :-

01 निविदादाता का पूरा नाम तथा दूरभाष क. .....
.....
.....

02 फर्म का स्वरूप (स्वामित्व/भागीदारी/प्रा.लि/लि.कंपनी) .....
.....

03 फर्म के स्वामी /का नाम एवं पता .....
.....

कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय हेतु दर

1	फर्म / संस्था का पूरा नाम	
2	फर्म/संस्था का पूरा नाम पता ईमेल आईडी सहित	
कमांक	कृत्रिम अंग/उपकरण का नाम	दर प्रति नग
1	ट्रायसायकल (राईट हेण्ड)	
2	ट्रायसायकल (लेफ्ट हेण्ड)	
3	वैसाखी (बड़ा साईज)	
4	वैसाखी (छोटा साईज)	
5	श्रवण यंत्र	
6	छड़ी (फोल्डिंग वाला)	
7	छड़ी	
8	व्हील चेयर(छोटा साईज)	
9	व्हील चेयर(बड़ा साईज)	

हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी/दस्तावेज सही है। गलत प्रमाण पत्र अथवा अभिलेख/जानकारी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही की जायेगी, उसके लिये मैं / हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर / सील
निविदाकर्ता